संख्या-30 /7रिट/47-का-3-2014-3/4/2014

प्रेषक,

पी0बी0 सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य स्थायी अधिवक्ता
उच्च न्यायालय
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 07 मार्च 2014**

विषय- स्पेशल अपील नोटिस संख्या-320140939/2014 पारस नाथ बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के पत्र संख्या-984, दिनांक 07.02.2014 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि याची द्वारा योजित स्पेशल अपील जनगणना के छटनी कर्मचारी के समायोजन के संबंध में है। जनगणना विभाग का प्रशासकीय विभाग सामान्य प्रशासन विभाग है। प्रश्नगत स्पेशल अपील में याची द्वारा सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा जिलाधिकारी, गोण्डा व जनगणना अधिकारी, गोण्डा को प्रतिवादी बनाया गया है। जनगणना विभाग से संबंधित प्रशासकीय विभाग सामान्य प्रशासन विभाग है। अतएव प्रश्नगत स्पेशल अपील सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है न की कार्मिक विभाग से संबंधित है। उक्त स्पेशल अपील में विरोध/ पैरवी/ प्रतिशपथ-पत्र योजित किए जाने संबंधी समस्त कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा की जानी है। प्रश्नगत रिट याचिका में कार्मिक विभाग से संबंधित कोई बिन्दु न होने के कारण कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

संलग्नक-उपरोक्त।

भवदीय

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://sansadesh.up.nic.in

संख्या-30/7रिट(1)/47-का-3-2014-3/4/2014, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित है कि प्रश्नगत स्पेशल अपील में अपने स्तर से जिलाधिकारी, गोण्डा को अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही/ प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2- जिलाधिकारी, गोण्डा।

संलग्नक-उपरोक्त।

आज्ञा से

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in